राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
(2) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(3) निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान: अजमेर ।

जयपुर, दिनांक:- 09-01-98

क्रमांक:- प.5(3)राज-4/86

-: प रि प त्र :-

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(42)राज-4/80 दिनांक 1.5.81
द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा ऋण के एवज में
अनुसूचित बैंक व सरकारी समितियों को बंधक की गयी उनकी भूमि ऋण चुकता
न किये जाने की अवस्था में बैंक द्वारा नीलामी करके उनकी भूमि जो क्रमश: गैर
अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को बेचने हेतु (राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 की धारा 42-क में लगाये बन्धों में छूट) दी गयी है ।

राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निराकरण) अधिनियम
1976 के नियम 14(2) में अनुसूचित जाति / जनजाति की भूमि को बैंक द्वारा
ऋण की एवज में गैर अनुसूचित जाति / जनजाति को बेचने पर रोक है ।

उक्त परिपत्र दिनांक 1.5.81 उक्त 1976 के नियमों के नियम 14(2)
से विरोध रखता है । अत: 1.5.81 का परिपत्र वापिस लिया जाता है ।

(के० सी० सिंघल)
शासन उप सचिव

मनोज/